विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
16(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में श्रमिकों को श्रेणीवार बॉटा गया है और उनकी मजदूरी भी श्रेणीवार तय की जाती है?	जी हॉ,
(ख) यदि हॉ, तो क्या श्रेणीवार बॉटे गये श्रमिकों की श्रेणी व तय की गई मजदूरी का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत यथा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के मजदूरों के मजदूरी की मूल दरें निर्धारित किया गया है तथा वर्तमान में निर्धारित मंहगाई की दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता वर्ष में दो बार यथा 01 अप्रैल से 30 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक देय रहता है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की मूल दर सहित परिवर्तनीय मंहगाई 01 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक के लिए जारी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रूपये में)

क्रमांक	श्रेणी	मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल मजदूरी
1	अकुशल	5750	4339	10089
2	अर्द्धकुशल	6325	4773	11098
3	कुशल	7085	5347	12432

प्रश्न	उत्तर
(ग) क्या श्रेणीवार बॉटे गये श्रमिकों की श्रेणी बनाने में शिक्षा का पैमाना रखा गया हैं या कुशलता का या दोनों का एवं शिक्षा व कुशलता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया हुआ मान्य है?	श्रमिकों का श्रेणीकरण उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के अनुसार किया जाता है।
(घ) क्या श्रमिकों का श्रेणीवार बंटवारे का प्रमाण पत्र लिखित में जारी करवायेंगे जिससे उनकी मजदूरी तय करने में आसानी हो सके?	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कोई प्रावधान नहीं है।

(ड.)	यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न ही नहीं उठता ।
(च)	यदि नहीं, तो क्यों ?	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कोई प्रावधान नही है।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।